Title : Regarding need to provide adequate compensation to the farmers whose lands have been acquired in border areas of Rajasthan.

(viii) Need to provide adequate compensation to the farmers whose

lands have been acquired in border areas of Rajasthan

श्री निहाल चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सीमा पर रह रहे किसानों की भूमि केंद्र सरकार ने अधिग्रहण कर भारत-पाक सीमा पर कटीली तार लगाई थी। किसानों की एक एकड़ के करीब जमीन भी थी, परंतु आज तक किसानों को उस जमीन का मुआवजा नहीं मिला। किसान खेत में जा नहीं सकता, सिंचाई कर नहीं सकता, फसल बोना या फिर फसल काट नहीं सकता, क्योंकि बार्डर पर सुरक्षा की दृष्टि से किसान को कटीली तार में आने-जाने नहीं देते। इससे किसानों का काफी नुकसान होता है। किसान की जमीन भी सरकार ने ले ली, परंतु अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। सीमांत क्षेत्र के हरियाणा, पंजाब राज्यों में किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है।

अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में जिन लोगों की जमीनें अधिगृहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा अविलम्ब दिया जाए।